


१२२१/२५५१/५११०

न्यायालय श्रीमान् पीठासीन अधिकारी सदस्य राजस्व

२२२० २९५१-III मण्डल ग्वालियर (केम्प शीवा) (म०प्र०)



वीरेन्द्र पाण्डेय वगै०

301
78-15

आवेदकगण / निगरानीकर्तागण

13201

विरुद्ध

बेवा शैकूल बेगम वगै०

१२२१

अनावेदकगण / गैरनिगरानीकर्तागण

श्री... अशोक सिंह के
द्वारा आज दिनांक ०७-८-१५ के
प्रस्तुत किया गया।
जुडिज
सिडर
सिडर कोर्ट शीवा

माननीय न्यायालय द्वारा निगरानी प्रकरण कमांक आर-4245-II/13 वीरेन्द्र पाण्डेय वगैरह बनाम बेवा शैकूल बेगम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 15/05/15 निरस्त किया जाकर निगरानी प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिया जाकर निगरानी का निराकरण गुण-दोष के आधार पर किये जाने बावत् आवेदन पत्र।

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 35 (3) म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 ई०

मान्यवर,

आधार आवेदन पत्र निम्न है :-

1- यह कि उपरोक्त उन्मान की निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 15/05/2015 को अनावेदकगण/गैरनिगरानीकर्तागण के तर्क हेतु नियत था। पुकार के समय आवेदकगण/निगरानीकर्तागण की ओर से कोई उपस्थित न होने के कारण निगरानी प्रकरण को अदम पैरबी में निरस्त कर दिया गया है।

2- यह कि प्रकरण में आवेदकगण/निगरानीकर्तागण द्वारा दिनांक


राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

22

मामला क्र. रेस्टो.2941-दो/15

जिला-सतना

~~वीरिड पाण्डेय~~ | ~~वेवा शेखूल बेगम बोर~~

(1)	(2)	(3)
26.10.16	<p>आवेदक एवं आवेदक के अधिवक्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक के अधिवक्ता को समय-समय पर आवाज लगवाई गयी उसके बाद भी कोई उपस्थित नहीं हुआ। आवेदक के अधिवक्ता के उपस्थित न होने के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	

M

048